योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण

कोयला ब्लॉक की नीलामी 2020

कोयला ब्लाकों के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों का एक बुनियादी मूल्यांकन

प्रस्तावना

1 योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण क्या है?

2 योग्य और उचित व्यक्ति कौन है?

3 सीमारेखा और निर्णय लेना

4 वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक बोली लगाने के लिए आवेदन

5 निष्कर्ष

प्रस्तावना

सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और कोयला खनन के विकास में तेजी लाने के प्रयास में कुछ महत्वपूर्ण विधायी और नीतिगत बदलाव किए हैं। नीलामी के पहले दस हिस्सों में उदासीन प्रतिक्रिया के बावजूद, नए अधिनियम के तहत और 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के बाद, सरकार ने 18 जून 2020 को 11वें हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की।

जनवरी 2020 में, सरकार एक चर्चा पत्र के माध्यम से 80 कोयला ब्लॉकों की सूची के साथ आई थी और संभावित बोलीदाताओं से सुझाव मांगे थे कि किस ब्लॉक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंततः, 41 ब्लॉकों के आह्वान से शुरूआत हुई लेकिन राज्य सरकारों के विरोध और हस्तक्षेप के साथ, कुछ ब्लॉकों को हटा दिया गया और कुछ नए में 38 ब्लॉक शामिल थे।

जैसे-जैसे नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ी, केवल 21 ब्लॉक ही एक से अधिक बोली आकर्षित कर पाए। यहाँ तक कि ढीली तकनीकी शर्तों के बावजूद भी इन कंपनियों में से एक कंपनी विफल रही।

दुनिया भर में, संसाधन के अभिशाप की वास्तविकता को पहचानते हुए, सरकारें एक योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण आयोजित करने में लगी हैं। यह विभिन्न कोणों से कंपनी की साख का मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय संपदा किसी भी ऐसी इकाई को नहीं सौंपी गई है जिसका रिकॉर्ड खराब है।

दुर्भाग्य से, जब कॉर्पोरेट के उचित परिश्रम की बात आती है तब हमारा देश दक्षिण की ओर बढ़ता प्रतीत होता है और जैसा कि इस प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कोई भी बोली लगाने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें सरकार संरक्षक होने के नाते संसाधनों को सौंपने की कोशिश कर रही है।

हम समुचित परिश्रम की मांग करते हैं और कोयला मंत्रालय में पीएमयू के बीच हितों के संभावित टकराव और निजी कंपनियों के साथ इसकी भागीदारी को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह विफलता सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों की विफलता है और हमारे समाज पर बोझ है।

हम चर्चा शुरू करने और दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए राहुल बसु, अनुसंधान निदेशक, गोवा फाउंडेशन और गोयनची माटी अभियान के आभारी हैं, और साथ ही एंविरोनिक्स ट्रस्ट के वरिष्ठ साथी श्रीधर राममूर्ति और निशांत अलग का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस कार्य मे लगातार सहयोग दिया।

सास्वती स्वेतलाना, समन्वयक, मीरा

सुनील हेम्ब्रम, सोशल साइंटिस्ट, एंविरोनिक्स ट्रस्ट
3 नवंबर 2020, नई दिल्ली

1. योग्य और उचित व्यक्तिगत परीक्षण क्या है?

एक योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण की अवधारणा उल्लेखनीय रूप से सरल है और हम सभी के विचार से संबंधित हैं। मान लीजिए, हम किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं, या हम स्वयं कार्यरत हैं या किसी के द्वारा लगे हुए हैं, तो एक साक्षात्कार होता है, व्यक्ति की साख के कुछ दस्तावेजों की जांच की जाती है, कुछ संदर्भ मांगे जाते हैं, परीक्षण और साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं और वास्तविक कार्य से पहले उसके बीते हुए दिनों की जाँच की जाती है।

अनिवार्य रूप से जो किया जा रहा है वह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति के पास आवश्यक कौशल, योग्यता, अखंडता और आदतें हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वह लगा हुआ है उसे वह पूरा करेगा। प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बड़ी संख्या में लोगों के लिए निहितार्थों पर विचार करते हुए, इस तरह के अभ्यास के लिए औपचारिक मानदंड स्थापित किए जाते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे हम, चाहे वो घरेलू मददगार या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के निदेशक का पद हो उसके लिए करते है।

इसलिए यह उम्मीद करना उचित है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक के रूप में सरकार एक कंपनी के लिए प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संपदा सौंपने के दौरान एक विस्तृत योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण विकसित करेगी।

प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से खनिजों के गैर-नवीकरणीय होने के संदर्भ में, योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण की आवश्यकता, समय निर्धारण और परिसंपत्ति को सौंपने के इस तरह के निर्णय के सामान्य और विशिष्ट परिणामों के विस्तृत विश्लेषण से पहले होनी चाहिए।

हालांकि कई कानून, नीतियां और न्यायिक आदेश हैं जो भारत में निष्कर्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करते हैं। यह पेपर पूर्व-अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए सरकारों पर जोर देने और कठोर मूल्यांकन करने और निश्चितता करने की निष्पक्ष डिग्री के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि परिसंपत्ति के लिए बोली लगाने वाली कंपनी कार्य के लिए योग्य और उचित है और यह अधिकतम आर्थिक रिटर्न प्रदान करेगी और अखंडता, पर्यावरण और सामाजिक मानदंडों का पालन करते हुए काम करेगी।

इसके अलावा, योग्य और उचित व्यक्ति प्रावधानों को, बंद होने की अवधि सहित खनन पट्टे की अवधि के लिए निरंतर आधार पर मिलना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि कंपनियां और सरकार भी पर्यावरण और वन मंजूरी को सिर्फ एक बार के मामले के रूप में मानते हैं। कानून का कमजोर पड़ना कंपनी को योग्य और उचित के रूप में मूल्यांकन करने में, लेकिन कानून को उसकी सही भावना में लागू करने में भी बड़ी शिथिलता प्रदान करता है।

देश में खनन कानूनों के संदर्भ में, खनिज रियायत और खनिज संरक्षण और विकास नियमों के अलावा, जो संचालन के लिए मौलिक हैं, योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण को कंपनी की क्षमता और खनन गतिविधि को सक्षम करने वाली एजेंसी में शामिल होना चाहिए, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार वह यह सुनिश्चित करे कि यह प्रक्रिया सतत विकास ढांचे (एसडीएफ) के भीतर की जा सकती है, भले ही इसकी अपनी धारणा की कुछ सीमाएं हैं। सरकार द्वारा निर्धारित एसडीएफ निम्नलिखित आठ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित हैं।

1. पट्टों पर निर्णय में पर्यावरण और सामाजिक संवेदनशीलता को शामिल करना

2. मुख्य खनन क्षेत्रों में रणनीतिक मूल्यांकन

3. ध्वनि प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से खदान स्तर पर प्रभाव का प्रबंधन

4. भूमि, पुनर्वास और अन्य सामाजिक प्रभावों को संबोधन करना।

5. सामुदायिक जुड़ाव, लाभ में हिस्सेदारी और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योगदान।

6. खदान का बंद होना और खदान के बंद होने के बाद खनन संचालन

7. नैतिक कार्य और जिम्मेदार व्यवसाय

8. आश्वासन और रिपोर्टिंग।

अगर हम संपदा को सख्ती से सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम देश की ओर से कुछ प्रबंधित करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से इस अभ्यास को आरंभ करने की आवश्यकता है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, अधिकांश खनन कंपनियां वर्तमान में इस तरह के परीक्षण को पारित नहीं कर सकती हैं।

2. योग्य और उचित व्यक्ति कौन है?

वर्तमान में सरकार की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, जिसके पास एक व्यापक व्यवस्था हो कि वह मापदंड स्थापित करने के लिए अपेक्षित परीक्षा आयोजित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि किस कंपनी को खनिज संसाधन खनन और बिक्री के लिए दिए जाये। अपने विश्लेषण के आधार पर हम कुछ सरल और प्रारंभिक मानदंड प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें और विकसित करने की आवश्यकता है, हम सरकार से आग्रह करते हैं और हमारे संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता पर समुदायों को सतर्क करते हैं।

पिछले साल, आस्ट्रेलिया में विक्टोरिया की राज्य सरकार ने उनके खनिज संसाधनों (सतत विकास) (खनिज उद्योग) विनियम 2019 की धारा 13 (जी) के तहत एक दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि "सार्वजनिक हित" का परीक्षण लेने के पहले के अभ्यास को प्रतिस्थापित किया जाए।

खनन के संदर्भ में, एक योग्य और उचित व्यक्ति बारीकी से निर्मित या सीमित नहीं है, और न ही यह दिशा-निर्देश के रूप में जारी किए गए समय के साथ स्थिर रहता है। अन्य कारकों की श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जिसका अक्सर व्यक्ति की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए एक योग्य और उचित व्यक्ति के रूप में गतिविधि शुरू करने के लिए ध्यान में रखा जाता है, जिसमें पिछले अस्वीकार्य व्यवहारों की गंभीरता (परिणामी हानि और दंड सहित), अस्वीकार्य व्यवहार, सुधारित व्यवहार, परिस्थितियों को कम करने और गुजर चुके समय के एक या दोहरे स्वरूप शामिल हैं।

हम कुछ पहलुओं के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि वह मापदंडों के एक स्पष्ट सेट को स्थापित करने के लिए एक कार्यदल और एक एजेंसी की स्थापना करे जो इस तरह की इकाइयों (उद्यमों) का ई-नीलामी के लिए पंजीकरण करने से पहले परीक्षण कराएगी।

वित्तीय रूप से योग्य व्यक्ति

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 'योग्य और उचित व्यक्ति' के निर्धारण के लिए मानदंड पर एक विनियमन निकाला। बाजार में वित्तीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में और यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या आवेदक या मध्यस्थ संबंधित विनियमों में से किसी एक या एक से अधिक पंजीकरण के लिए एक 'योग्य और उचित व्यक्ति है'। खनन संदर्भ में बोली लगाने वालों के लिए इसी तरह के मापदंडों को लागू करने की आवश्यकता है।

सेबी के मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन जैसा कि विनियमन कहता है कि यह केवल इन तक सीमित नहीं है;

1. वित्तीय अखंडता;

2. प्रतिबद्धता या नागरिक दायित्वों की अनुपस्थिति;

3. क्षमता;

4. अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र;

5. दक्षता और ईमानदारी; तथा

6. इन विनियमों में निर्धारित किए गए किसी भी नियम की अनुपस्थिति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्यता माना जायेगा।

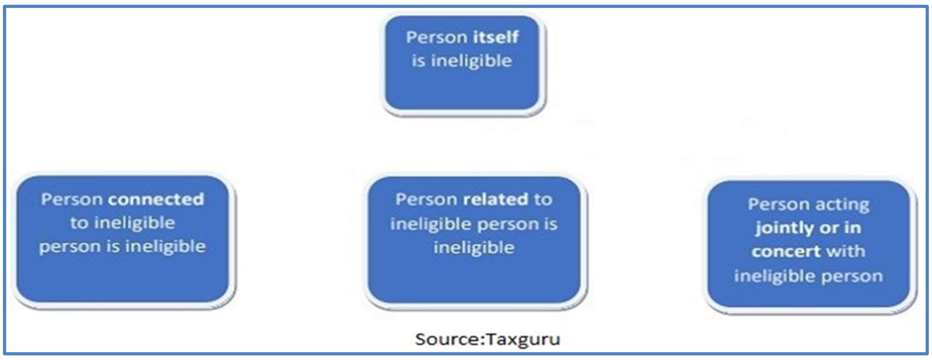

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सुझाव है कि पर्यवेक्षक या वैधानिक नियामक निकाय को भी होना चाहिए-

(ए) अपराधियों या उनके सहयोगियों को पेशेवर मान्यता प्राप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें, या स्वामित्व या एक महत्वपूर्ण इकाई के लाभकारी मालिक होने या हितों को नियंत्रित करने या प्रबंधन कार्य के स्वामित्व, उदाहरण के लिए, "योग्य और उचित" परीक्षण के आधार पर व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के माध्यम से; तथा

(बी) में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) की आवश्यकताओं के अनुपालन में विफलता से निपटने के लिए सिफारिश 35 के अनुसार प्रभावी, आनुपातिक और निराकरण प्रतिबंध उपलब्ध हैं।

पर्यावरणीय योग्य व्यक्ति

पर्यावरण और वन विधान विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न मूल्यांकन और प्रक्रियाएं करते हैं, जिसमें लोगों तक सूचना की पहुंच, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और शिकायत के मामले में लोगों की न्याय तक पहुंच शामिल है। ये कई संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हमारे समर्थन द्वारा भी दोहराए गए हैं।

खनन पट्टों के संदर्भ में, उनके पर्यावरण प्रबंधन रिकॉर्डों के मामलों में कंपनी का पुराना व्यवहार, उनके खनन के अखाड़े में उतरने से पहले का एक महत्वपूर्ण मानदंड होना चाहिए। खनिज संरक्षण और विकास नियमों में पर्यावरणीय पहलुओं पर इन प्रासंगिक अनुच्छेदों में पूर्वेक्षण (खनिज भंडार ढूंढने) के चरण से लेकर खदानों को बंद करना शामिल है।

12. पूर्वेक्षण और खनन कार्य

खनिज भण्डारों के व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वेक्षण और खनन कार्य इस प्रकार से किए जाएंगे।

32 (5) एक खनन पट्टे के धारक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे:

(ए) 1: 50,000 के पैमाने पर एक प्रमुख योजना निम्नलिखित को शामिल करती है:

1. एक प्रशासनिक सतह का नक्शा, जो खनन पट्टे की सीमा को दर्शाता है, और आस-पास का क्षेत्र जो विशेषत: उसके पांच किलोमीटर के दायरे में आता है 2. रूपरेखा बीस मीटर से अधिक अंतराल पर नहीं; 3. प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली जैसे नदी, नाले, नाले, पानी के जलाशय, तालाब, झीलें, सिंचाई बांध और नहरें; 4. रोडवेज और रेलवे; 5. ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थान, स्मारक, पूजा स्थल, तीर्थयात्रा और पर्यटक हित; 6. वृक्षों के घनत्व, अभयारण्य, बंजर भूमि, कृषि भूमि, चरागाह भूमि; 7. उनकी आबादी के साथ सभी गांवों और कस्बों की सीमाएं; 8. प्रमुख हवा की दिशा; 9. कोई भी अन्य प्रासंगिक विशेषताएं: बशर्ते कि स्थलाकृतिक मानचित्र को प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, विषय (1) से (9) में निर्दिष्ट विवरण प्रशासनिक योजना में प्रशासनिक सतह के नक्शे में उपलब्ध सीमा तक शामिल किए जाएंगे।

(बी) 1: 5000 के पैमाने को शामिल करते हुए पट्टे के क्षेत्र की सीमा के पांच सौ मीटर के दायरे के आसपास के क्षेत्र में खनन पट्टे के क्षेत्र की एक पर्यावरण योजना निम्नलिखित को शामिल करती है:

(1) एक प्रशासनिक सतह मानचित्र जो खनन पट्टे की सीमा को दर्शाता है; (2) पांच मीटर के अंतराल पर समोच्च रेखाएं; (3) उपखंड (3) से (9) उपखंड (ए) में उपर्युक्त सभी विशेषताएँ; (4) खदान के कामकाज, कब्जे वाले क्षेत्र, डंप की ऊंचाई से ढके क्षेत्र, प्रसंस्करण संयंत्र, सतह निर्माण, कार्यशाला, खनन टाउनशिप द्वारा कवर क्षेत्र; (५) पुनर्निर्मित क्षेत्र, क्षेत्र की रक्षा, सुरक्षा अवरोधों का स्थान, पूर्वेक्षण, खनन, लाभार्थी या खदान में किए गए धातुकर्म संचालन से उत्पन्न ठोस और तरल अपशिष्टों को रोकने के लिए बनाए गए चेकडैम; (6) सभी पंपिंग स्टेशन और खदान के पानी के निर्वहन के जलमार्ग: बशर्ते कि विषय (2), (4) और (5) के संबंध में विवरण पट्टे क्षेत्र की सीमा से परे केवल साठ मीटर तक लागू होंगे।

21. खदानों का परित्याग

(1) पट्टे के निर्वाह के दौरान खनन पट्टे के धारक चाहे जैसा भी मामला हो, भारतीय खान ब्यूरो या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के लिखित आदेश में पूर्व अनुमति के बिना, खदान या खदान के हिस्से को नहीं छोड़ेंगे।

(2) खनन पट्टे का धारक , खदान या एक हिस्से को छोड़ने, या जैसा भी मामला हो, के अपने इरादे के लिए भारतीय खान ब्यूरो या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी को परित्याग की इच्छित तिथि से कम से कम नब्बे दिन पहले उन तक पहुँचने के लिए फॉर्म-डी में एक नोटिस भेजेगा। इस तरह का नोटिस योजनाओं और वर्गों के साथ इन नियमों के, जैसा कि नियम 31 में निर्दिष्ट है उसके अनुसार होगा, जैसे परित्यक्त खदान या उसके भाग के संरक्षण के लिए परिकल्पित उपायों के साथ-साथ सूचना प्रस्तुत करने के समय तक खदान में किए गए कार्यों को सही ढंग से निर्धारित करना, उपागम और पर्यावरण के दृष्टिकोण: भारतीय खान ब्यूरो या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर तैयार की जाने वाली योजनाओं और वर्गों की आवश्यकता हो सकती है।

35. सतत खनन

(1) खनन पट्टे के प्रत्येक धारक क्षेत्र में पूर्वेक्षण, खनन, लाभकारी, या धातुकर्म संचालन करते समय सतत खनन के लिए सभी संभव सावधानियां बरतेंगे।

(2) खनन पट्टे का प्रत्येक धारक भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टार रेटिंग के अधिसूचित खाके के अनुसार अपने खनन और संबद्ध गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी करेगा, और अपना आत्म-मूल्यांकन ऑनलाइन जमा करेगा और क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को पिछले वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई से पहले अपनी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) स्टार रेटिंग की पुष्टि भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण के माध्यम के द्वारा की जाएगी।

(4) क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी उन खदानों में खनन कार्यों को निलंबित कर सकते हैं, जहां स्टार रेटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पैंतालीस दिनों का कारण बताओ नोटिस देने के बाद इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर कम से कम चार स्टार रेटिंग हासिल नहीं की गई है।

(5) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट स्टार रेटिंग आवश्यकता के अनुपालन के निरीक्षण के बाद ही निलंबन रद्द किया जाएगा, कि यह खदान स्टार रेटिंग के लिए योग्य है।

36. ऊपरी मिट्टी का निष्कासन और उपयोग

(1) एक पूर्वेक्षण लाइसेंस, पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे या खनन पट्टे के प्रत्येक धारक, जहां भी ऊपरी मिट्टी मौजूद है और पूर्वेक्षण या खनन कार्यों के लिए खुदाई की जानी है, वहां ऊपरी मिट्टी को अलग से निकाले।

(2) हटाई गई मिट्टी का उपयोग उस भूमि के जीर्णोद्धार या पुनर्वास के लिए किया जाएगा जो अब पूर्वेक्षण या खनन कार्यों के लिए या बाहरी मलबे को स्थिर या भूनिर्माण के लिए आवश्यक नहीं है।

(3) जब भी ऊपरी मिट्टी का समवर्ती उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसे भविष्य में उपयोग के लिए अलग से संग्रहीत किया जाएगा।

37. ओवरबर्डन, बेकार चट्टान, आदि का भंडारण

(1) पूर्वेक्षण लाइसेंस, पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे या खनन पट्टे के प्रत्येक धारक कदम उठायेंगे ताकि ओवरबर्डन, बेकार चट्टान, छोड़ा हुआ मलबा और पूर्वेक्षण, और खनन कार्य के दौरान उत्पन्न छोटे कण या अयस्क के अवशेष, कीचड़, और आकार, छँटाई और लाभकारी या धातुकर्म परिचालन के दौरान उत्पादित छोटे कणों को अलग डंप में संग्रहीत किया जाएगा।

(2) हानिकारक मात्रा में सामग्री की निकासी को रोकने के लिए डंप को ठीक से सुरक्षित किया जाएगा जिससे पर्यावरण का क्षरण हो सकता है और बाढ़ के कारण को रोका जा सकता है।

(3) वर्षा के कारण न्यूनतम घुलनशील रसायन या खनिज के प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए डंप, अयस्क अवशेष या कीचड़ के लिए साइट को अभेद्य जमीन पर यथासंभव चुना जाएगा।

(4) जहां तक संभव हो, बेकार चट्टान, ओवरबर्डन, आदि को जहां तक संभव हो सके भूमि को उसके मूल उपयोग को बहाल करने की दृष्टि से खुदी हुई खदान में वापस भरा जाएगा।

(5) खनन कार्यों के दौरान खोदे गए क्षेत्र में जहां बेकार चट्टानों से खदान को वापस भरना संभव नहीं है, कचरे के ढेरों को वनस्पति के माध्यम से या अन्यथा स्थिर किया जाएगा।

(6) खदान, लाभार्थी या धातु संयंत्रों से छोटे कण, छोड़ा मलबा या अयस्क अवशेष, विशेष रूप से तैयार किए गए अवशेष निपटान क्षेत्र में जमा किए जाएंगे और निपटाये जाएंगे, ताकि वे बह न जाएं और भूमि के क्षरण या कृषि क्षेत्र के नुकसान, या जल निकायों,भूजल के प्रदूषण या बाढ़ का कारण बने।

38. जमीन के कंपन के खिलाफ एहतियात

जब भी खनन पट्टे क्षेत्र से निकटता के कारण सार्वजनिक भवनों या स्मारकों को कोई नुकसान पहुँचता है, तो खनन पट्टे के धारक द्वारा वैज्ञानिक जाँच की जाएगी ताकि सुरक्षित सीमा के भीतर ब्लास्टिंग के कारण होने वाले कंपन को नियंत्रित रखा जा सके।

39. सतह घटाव पर नियंत्रण

सतह घटाव की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए भूमिगत खदानों में परत-दर-परत खुदाई की जाएगी।

40. वायु प्रदूषण के खिलाफ एहतियात

पूर्वेक्षण, खनन, लाभकारी या धातुकर्म संचालन और संबंधित गतिविधियों के दौरान छोटे कणों, धूल, धुएं या गैसीय उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण को पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के धारक द्वारा 'जायज़ सीमा' के भीतर नियंत्रित और रखा जाएगा।

41. विषाक्त तरल का निर्वहन

पूर्वेक्षण लाइसेंस, पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे या खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को खदान, कार्यशाला, लाभार्थी या धातु संयंत्रों, अयस्क अवशेष के तालाबों से सतही जल निकायों, भूजल जलभृत और उपयोग योग्य भूमि, में न्यूनतम स्तर तक विषाक्त और आपत्तिजनक तरल अपशिष्टों के स्त्राव को रोकने या कम करने के लिए सभी संभावित सावधानियां बरतनी चाहिए। इस संबंध में निर्धारित मानकों के अनुरूप, यदि आवश्यक हुआ तो इन अपशिष्टों का उचित उपचार किया जाना चाहिए।

42. शोर के खिलाफ़ एहतियात

पूर्वेक्षण लाइसेंस, पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे या खनन पट्टे के धारक द्वारा पूर्वेक्षण, खनन, लाभकारी या धातुकर्म परिचालन से उत्पन्न होने वाले शोर के स्रोत को नियंत्रित किया जाएगा ताकि इसे अनुमेय (जायज़) सीमा के भीतर रखा जा सके।

43. अनुमेय (जायज़) सीमाएँ और मानक सभी प्रदूषकों, विषाक्त पदार्थों और शोर के नियम और अनुमेय सीमाएँ नियम 40, 41 और 42 में उल्लिखित हैं, जिन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रासंगिक क़ानूनों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया जाएगा।

44. वनस्पतियों की बहाली

पूर्वेक्षण लाइसेंस, पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे या खनन पट्टे के प्रत्येक धारक, पूर्ववर्ती कार्यवाही या खनन कार्यों को, (जैसा भी मामला हो) पूर्वेक्षण लाइसेंस, पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे या खनन पट्टे

के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में, लागू कानूनों के अनुसार और ऐसे तरीके से अंजाम देंगे जिससे कि वनस्पतियों की कम से कम क्षति हो।

लिंग, सामाजिक और मानवाधिकारों के संदर्भ में उपयुक्त

खनन संसाधनों के निष्पक्ष और बेहतर प्रबंधन की मांग है कि सामुदायिक वार्ता को अत्यंत प्राथमिकता माना जाना चाहिए। पूरी खनन प्रक्रिया के दौरान खनन प्रभावित समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं, को एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में पहचाने जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे संसाधनों की प्राथमिक संरक्षक हैं। सतत खनन के लिए, समुदायों के अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए, और उनके अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को आपराधिक अनुबंध के साथ-साथ खनन अनुबंध के स्थायी निरस्तीकरण के साथ अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। खनन चक्र में महिलाओं को एकजुट करने, निर्णय लेने और श्रम शक्ति, बाल-संरक्षण प्रावधानों, सुरक्षित और सहायक वातावरण में उनकी सक्रिय भागीदारी को शामिल करना चाहिए।

प्रत्येक धारक को मानवाधिकार जोखिमों को पहचानना चाहिए जिसका वे अपनी गतिविधियों के माध्यम से योगदान कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें एक मानवाधिकार प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए जिसमें जांच प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लिंग और सामाजिक प्रभावों के आकलन शामिल होने चाहिए। धारक के पास लैंगिक समानता नीति के साथ-साथ उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा के लिए एक शून्य-सहिष्णुता नीति होनी चाहिए। खनन से संबंधित कार्य में लिंग के परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने के लिए हर धारक को संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह द्वारा व्यापार और मानव अधिकारों पर निर्मित लिंग मार्गदर्शन उपकरण को अपनाना चाहिए।

3. (थ्रेसहोल्ड) घटना का आरंभ बिंदु और निर्णय लेना

हाल के दिनों में, विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग-बिजनेस (व्यापार में आसानी) इंडेक्स सहित, सूचकांकों को विकसित करने की प्रवृत्ति रही है जो कई संकेतकों पर आधारित हैं।

ये एक समग्र रैंकिंग प्रदान करते हैं। हालांकि, ये सूचकांक और यहां तक कि जीआरआई रिपोर्टिंग सकल उल्लंघनों को प्रतिबिंबित नहीं करती है और उन पहलुओं को छिपाती है जो प्रासंगिक हैं। योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण के मामले में, किसी एक इकाई को खत्म करने के लिए एक उल्लंघन पर्याप्त होना चाहिए।

इसलिए, कोयला ब्लॉक नीलामी के संदर्भ में, हम मानते हैं कि इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक, पर्यावरण, या सामाजिक उल्लंघन उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए एक अच्छा पर्याप्त कारण होना चाहिए। कुछ इकाईयां बार-बार उल्लंघन करने वाली साबित हुई हैं।

4. वाणिज्यिक कोयले ब्लॉक की बोली लगाने के लिए आवेदन

वाणिज्यिक खनन के लिए 38 ब्लॉकों की कोयले की नीलामी प्रक्रिया में है और 42 कंपनियों ने अपनी बोली प्रस्तुत की है।

बोली प्रक्रिया की अखंडता और बाद में कोयला ब्लॉकों के आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए, संभावित चेतावनी संकेतों का पता लगाने में मदद करने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति परीक्षण के तहत बोली लगाने वाली कंपनियों की जांच करने का प्रयास किया गया है। एकत्र किए गए सबूत नियामक निकायों, विश्वसनीय इंटरनेट स्रोतों, कानूनी निष्कर्षों और समाचार स्रोतों से रिपोर्टों पर आधारित है।

नीचे दी गई तालिका में उन 6 कंपनियों की सूची है जो इस वर्ष सम्मिलित हुईं जिनमें से 5 को बोली जमा करने की तारीख से 3 महीने से भी कम समय में पंजीकृत करवाया गया है।

S.No.	Name of the Company	No. of Bids	Date of Incorporation
1	EMIL Mines and Mineral Resources Limited	4	27th February 2020
2	Fairmine Carbons Private Limited	1	6th July 2020
3	Bhupati Mining Private Limited	1	11 July 2020
4	Agarwal Mining Private Limited	1	21st July 2020
5	Nilkanth Coal Mining Private Limited	1	11th September 2020
6	Mahavir Clean Fuel Mining Pvt. Ltd	1	1st August 2020

बोली लगाने वाली कुछ कंपनियों के खनन अनुभव के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं है, जिससे विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पर उनकी योग्यता पर सवाल उठता हैं। ऐसी कंपनियों की सूची निम्नलिखित हैं:

S.No	Name of the Company	No. of Bids	Remarks
1.	Adicorp Enterprises Private Ltd.	1	No information
2.	Bansal Construction Works Pvt Ltd	1	A real estate company with no mining experience
3.	Boulder Stone Mart Private Ltd.	1	No information
4.	Everdeliver Logistics Pvt. Limited	1	A logistics and transport service company with no mining eligibility
5.	India Coke and Power Pvt.Ltd	2	It’s a private unlisted company with no information on prior mining experience
6.	ND Pharma Private Ltd.	1	Chemical manufacturer
7.	Net Energy Private Limited	1	No information
8.	Saraf Trading Company Private	1	No information

9.	Shri Jaibaba Casting Pvt Ltd	1	It's a scrap dealer company. No information related to mining experience.
10	Refex Industries Limited	1	Deals with refrigerant gas refiller and has no mining eligibility. The former director was imposed a penalty by SEBI for violation of insider trading norms. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/sebi-slaps-rs-15-lakh-fine-on-refex-industries-ex-director/articleshow/63752870.cms

कंपनियों की एक संक्षिप्त सूची और उनके उल्लंघन या सार्वजनिक जानकारी की कमी का जिक्र

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, समूह, की चार सहायक कंपनियों- अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, चेंडीपाड़ा कोलियरीज प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रेटेटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और अडानी पावर रिसोर्सेज लिमिटेड के माध्यम से कुल 12 बोलियां संख्या में सबसे अधिक है यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, एक प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण उल्लंघनकर्ता है। कुछ सबूत इस प्रकार हैं:

https://indianexpress.com/article/india/cbi-books-adani-company-for-fraud-in-coal-supply-contract-6220462/
https://indianexpress.com/article/business/companies/court-overturns-clean-chit-to-adanis-in-share-rigging-case-6209072/
https://www.livemint.com/companies/news/adani-enterprises-in-the-dock-as-cbi-charges-group-with-criminal-misconduct-11579175347565.html
https://www.newsclick.in/CBI-books-adani-power-other-power-generating-companies-coal-supply-scandal-case
https://www.envirojustice.org.au/wp-content/uploads/2020/09/Environmental-Justice-Australia_Briefing-Note_Suitable-Scrutiny_25-August-2020.pdf

अलंकार ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी के खनन अनुभव या खनन गतिविधियों के लिए सहायक किसी भी गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अरोबिंदो रियल्टी और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

अरबिंदो समूह फार्मास्यूटिकल्स से रियल्टी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है और वहां से खनन उद्यमों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। समूह का पर्यावरण उल्लंघन का इतिहास है और सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग (इसका मतलब सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी,

जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, का उपयोग कर उन्हें खरीदने या बेचने से है।) के लिए भी दोषी पाया गया है।

https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/aurobindo-pharma-planning-to-challenge-spcb-order/articleshow/14865546.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/insider-trading-sebi-imposes-rs-22-cr-fine-on-aurobindo-pharma-promoters-related-entities/articleshow/71262551.cms?from=mdr

भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड

वेदांत समूह और 49% सरकारी हिस्सेदारी के सह-स्वामित्व वाली, बाल्को कंपनी भी बुरी तरह से पर्यावरण और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी उल्लंघनकर्ताओं की सूची में शामिल है।

https://www.alcircle.com/news/cecb-slaps-closure-notice-on-balco-power-plant-28801
https://www.businesstoday.in/current/corporate/rbi-balco-chhattishgarh-vedanta/story/24200.html
https://www.newsclick.in/BALCO-Chhattisgarh-Human-Rights-Environmental-Violations

चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

गोवा में अरबों रुपये के अवैध खनन घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कंपनी को तलब किया गया था।

https://zeenews.india.com/business/news/companies/ed-issues-notices-to-16-companies-in-goa-mining-scam_110252.html

कपरम बागरोडिया लिमिटेड

2009 में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में कंपनी का नाम आया था जब 2009 में संतोष बागरोडिया (विनोद बागरोडिया के भाई, कंपनी के मालिक) कोयला मंत्री थे।

http://nja.gov.in/P-948_Reading_Material/P-948_Audit_of_Fraud_in_economic_crimes/Aerospace%20&%20Defence%20Empty.pdf

https://www.indiatvnews.com/news/india/former-coal-minister-santosh-bagrodia-brother-got-hefty-minin-17644.html

डी बी पावर लिमिटेड

यह कंपनी पर्यावरण मानकों और मानव अधिकारों का लगातार उल्लंघन कर रही है।

https://www.ejatlas.org/conflict/coal-mine-of-baradarha-thermal-power-station-chhattisgarh-india
https://www.thehindu.com/news/national/High-Court-stays-clearance-for-DB-power-coal-mine-in-Chhattisgarh/article13422969.ece
https://www.thehindu.com/news/national/Stiff-resistance-to-DB-Power-coalmine-in-Chhattisgarh/article14931369.ece

दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड

कंपनी कथित रूप से भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न अवैधताओं में शामिल रही है।

https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/construction/dilip-buildcon-fined-rs-33-78-cr-for-excavation-work-in-maharashtra/articleshow/66951621.cms?from=mdr#:~:text=Maharashtra%20authorities%20have%20imposed%20a,rock)%20illegally%20in%20Beed%20district.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/Mining-mafia-plotted-inspectors-murder-Bhuria/articleshow/19299790.cms

https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/aap-demands-fir-against-dilip-buildcon/articleshow/68399956.cms

एमिल माइन एंड मिनरल रिसोर्स लिमिटेड

हालांकि यह कंपनी फरवरी 2020 में पंजीकृत हुई थी, लेकिन मूल कंपनी एस्सेल माइनिंग इंडस्ट्रीज ओडिशा में एक प्रमुख उल्लंघनकर्ता है। यह नाम जस्टिस शाह आयोग की अवैध खनन पर रिपोर्ट में नामित खनिकों में से एक था।

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/09172019124404Jilling%20Violation00010001.pdf
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/shah-commission-names-14-miners-for-cbi-inquiry-114080800967_1.html

https://odishasoochana.blogspot.com/2020/03/compensation-and-penalty-collected-from.html

गंगारामचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड

मैसर्स गंगारामचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम एंबी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड के एसपीवी, जो कि पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को आवंटित गंगारामचक ब्लॉक के लिए माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर था। इसका संबंध बिरला के एस्सेल समूह से है जो कई उल्लंघनों

में शामिल है। गंगारामचक ब्लॉक को समय पर खदानों को विकसित नहीं कर पाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और इसके लिए एमडीओ को जिम्मेदार ठहराया गया था।

https://www.financialexpress.com/archive/coal-scam-aditya-birla-groups-hindalco-industries-hit-by-corruption-charge/1182792/

हिडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कंपनी कोयला ब्लॉक घोटाले के आरोपियों में से एक थी, जहां सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। यह कथित रूप से वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम के कथित उल्लंघन की भी आरोपी थी।

https://www.financialexpress.com/archive/coal-scam-aditya-birla-groups-hindalco-industries-hit-by-corruption-charge/1182792/

इंस्पायर कंस्ट्रक्शन एंड कोल प्राइवेट लिमिटेड

पर्यावरण उल्लंघन और मानव खतरे:

वर्ष 2018 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि निजी कंपनियों, महावीर एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, जो कि इंस्पायर कंस्ट्रक्शन एंड कोल प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, की ओर से काम करने वाले एजेंटों द्वारा गैरकानूनी तरीके से ज़मीनों की खरीद-फरोख्त की गई।

https://amnesty.org.in/news-update/raigarh-authorities-protect-adivasis-right-peaceful-protest-1/

जिंदल पावर लिमिटेड (जेपीएल)

समय-समय पर कई उल्लंघनों के बीच, हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जेपीएल को रायगढ़ में पर्यावरणीय नुकसान का दोषी पाया और उनसे 1 करोड़ 54 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया है।

https://science.thewire.in/environment/national-green-tribunal-jindal-power-coal-india/

https://scroll.in/article/680475/how-the-naveen-jindal-group-may-be-conducting-proxy-mining-in-odisha
https://odishasoochana.blogspot.com/2020/03/compensation-and-penalty-collected-from.html

जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी का "जोय माइनिंग मशीनरी लिमिटेड (यूके) के साथ भारत के लिए एक विशेष व्यापार विकास समझौता है, जो एक सदी से अधिक (1919 से) के उद्योग के अनुभव के साथ तीन प्रमुख वैश्विक खनन उपकरण निर्माताओं में से एक है, जो अब कोमात्सु माइनिंग कार्पोरेशन ग्रुप का हिस्सा है।" जिस पर कई उल्लंघन के मामले हैं जैसे - पर्यावरण, सुरक्षा, श्रम उल्लंघन।

https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/komatsu

नेशनल अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने 2019 में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नाल्को को पर्यावरणीय मंजूरी का लगातार उल्लंघन करने वाला पाया था।

https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/cag-hauls-up-nalco-for-under-performance-expensive-delay/articleshow/70292594.cms?from=mdr
https://www.downtoearth.org.in/news/mining/cag-lists-nalco-s-many-environmental-aberrations-65715

नुवोको विस्तास कॉर्प. लिमिटेड

इस कंपनी को पहले लाफार्ज इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इसने धोखाधड़ी के माध्यम से खनन लाइसेंस हासिल किया था और ईआईए प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया था।

https://www.downtoearth.org.in/news/sc-upholds-mining-ban-on-lafarge-96
http://environmentclearance.nic.in/auth/ECReport_New.aspx?pid=12201&status=Found

सारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड

इस खनन कंपनी को जस्टिस शाह आयोग द्वारा अवैध खनन और खनिज रियायत नियमों के नियम 37 का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया था। 1938,85,68,640.00 रुपये के प्रतिपूरक दंड का भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2017 का पालन करने में भी कंपनी विफल रही है।

https://www.business-standard.com/article/current-affairs/shah-commission-names-14-miners-for-cbi-inquiry-114080800967_1.html

https://odishasoochana.blogspot.com/2020/03/compensation-and-penalty-collected-from.html

सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

पर्यावरणीय उल्लंघन:

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने 29 मई 2009 को मेसर्स सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड को खप्पा और एक्सटेंशन कोल ब्लॉक आवंटित किया था। यह कोयला खदानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 (3) (क) (iii) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में आवंटित किया गया था। हालांकि, आवंटन की तारीख से साढ़े चार साल बाद भी अधिनियम में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया था। यह देखा गया कि खनन पट्टे, वन मंजूरी (चरण -1), पर्यावरण खनन योजना और भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति लंबित थी। इससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि कंपनियों द्वारा निर्लज रूप से उल्लंघन किए जाते हैं। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी को 06.06.2013 को कारण बताओ नोटिस भेजा था। अंततः खप्पा और एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को उनके असंतोषजनक प्रगति या उन्नति यहाँ तक कि कारण बताओ नोटिस के बाद भी 06.01.2014 को दुबारा-आवंटित किया गया।

द आंध्र प्रदेश मिनरल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

इस कंपनी का पट्टे पर आवंटन में अनियमितता, अतिक्रमित भूमि में खनन जैसी बेईमान गतिविधियों का इतिहास है।

https://www.outlookindia.com/newswire/story/omc-mining-scam-cbi-arrests-ex-md-of-ap-mineral-corp/741286

वेदांत लिमिटेड

वेदांत और उसकी सहायक कंपनियों के पास भारत में और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गंभीर उल्लंघनों- पर्यावरण, स्वास्थ्य, आदिवासी और मानवाधिकारों के मामलों की एक बड़ी सूची है, जहां इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा है।

https://www.downtoearth.org.in/news/vedanta-violated-laws-tribal-rights-50
https://www.thequint.com/news/india/sterlite-protests-vedanta-environment-law-violations-orissa-tuticorin-zambia#:~:text=Vedanta%20had%20committed%20significant%20violations,concealing%20information%20about%20the%20project.

वेलस्पन स्टील लिमिटेड

पर्यावरणीय उल्लंघन:

प्रवर्तन निदेशक ने प्रदीप शर्मा पर कच्छ में कंपनी को कथित रूप से कम दर पर भूमि आवंटित करने के लिए वेलस्पन समूह से अवैध रूप से धन पाने का आरोप लगाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा था। बदले में, उनकी पत्नी श्यामल को कंपनी की सहायक इकाई में 30% भागीदारी मिली। इसलिए, ईडी ने एक निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने अर्थशोधन निवारण अधिनियम, (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोप लगाया।

एक याचिकाकर्ता, कंदला जूथ मछिमार सहकारी मंडली लिमिटेड, एक मछुआरे संगठन ने एनजीटी की पुणे पीठ में मामला दायर किया। कंपनी द्वारा बिछाई गई एक पाइपलाइन से संयंत्र ने समुद्र में अपशिष्ट जल का निर्वहन किया है, जो कच्छ जिले के अंजार तालुका में स्थित वेलस्पन इंडिया लिमिटेड कंपनी का एक हिस्सा है। इसलिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वेलस्पन इंडिया लिमिटेड पर हरे मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इस याचिका का जवाब देने में विफल रहने के लिए वेलस्पन इंडिया लिमिटेड, केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और अन्य 4 विभागों सहित सभी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा, वेलस्पन ट्यूबलर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एलएलसी, जो वेलस्पन समूह का एक हिस्सा है। पर्यावरण संबंधी अपराधों के आरोप में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने दिनांक 11 फरवरी 2011 को 9,625 डालर का दंड लगाया।

स्वास्थ्य उल्लंघन:

इसके अलावा, वेलस्पन ट्यूबलर, एलएलसी ने सुरक्षा से संबंधित अपराध किए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एजेंसी और स्वास्थ्य प्रशासन ने स्वास्थ्य उल्लंघन के लिए 33,250 डालर जुर्माना लगाया। यह देखा गया है कि कंपनी के कार्यस्थल में लगातार कथित सुरक्षा से संबंधित अपराध हुए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एजेंसी, और स्वास्थ्य प्रशासन ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है जो इस प्रकार है:

Sl. No.	Name of Company	Offenses type	Date	Agency	Penalty Amount
1	Welspun Tubular, LLC	Health Violation at workplace	3rd August 2010	OSHA	$33,250
2	Welspun Tubular, LLC	Health Violation at workplace	3rd August 2010	OSHA	$14,600

3	Welspun Tubular, LLC	Health Violation at workplace	22nd December 2010	OSHA	$49,000
4	Welspun Tubular, LLC	Health Violation at workplace	30th May 2013	OSHA	$7,000
	Welspun Tubular, LLC	Health Violation at workplace	4th February 2016	OSHA	$6,600

यज़दानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

पर्यावरणीय उल्लंघन:

एक याचिकाकर्ता, ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 56 विभागों और कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यज़दानी स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी उनमें से एक है। उन्होंने ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय और सह-उत्पादन खरीद दायित्व और इसके अनुपालन), 2010 की धारा 61, 66, 86 (1) (ई) के तहत गैर-अनुपालन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 और बिजली अधिनियम, 2003 के 181 के तहत मामला दर्ज किया। भूषण पावर एंड स्टील, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी, वेदांत एल्युमीनियम लिमिटेड, आदि जैसी अन्य कंपनियां भी इसी के लिए आरोप लगा रही हैं।

5. निष्कर्ष

आवंटन पर भारी घोटाले के बाद देश में नीलामी व्यवस्था लायी गई थी। अदालत ने महसूस किया कि नीलामी मूल्य की खोज की सबसे अच्छी प्रक्रिया थी। हालांकि, नीलामी के 10 हिस्सों और प्रस्तावों की निरंतर मिठास और प्रतिभागियों की सीमित संख्या, विशेषकर जिनका खराब इतिहास रहा है, नीलामी में किसी भी उद्यम को भाग लेने की अनुमति देने से पहले एक विस्तृत योग्य-और--उचित व्यक्ति परीक्षण करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

इसके अलावा, ऐसी नीलामियां, जिनसे क्षेत्र में समुदायों की सहमति नहीं है, वे प्रशासनिक कारनामों के माध्यम से तीसरे पक्ष को उतारकर निहित स्वार्थ पैदा करके संविधान से समझौता कर रही हैं।

यह प्रारंभिक मूल्यांकन स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर सरकार, जो नागरिक संपदा के संरक्षक के रूप में ऐसा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, के द्वारा एक गंभीर विश्लेषण किया जाए तो ये सभी बोली लगाने के योग्य नहीं होंगे।

इसलिए, जब तक कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की जाती है और उद्यमों की पारदर्शी रूप से जांच हो जाती हैं, तब तक नीलामी को चालू रखा जाना चाहिए।

Fit and Proper Person Test – Stage I – Precedence					
SNo	Bids	Company	Economic	Environmental	Social
1.	12	Adani Enterprises Limited			
2.	1	Adicorp Enterprises Private Limited			
3.	1	Agarwal Mining Private Limited			
4.	1	Alankar Tradelinks Private Limited			
5.	4	Aurobindo Realty and Infrastructure Private Limited			
6.	1	Bansal Construction Works Private Limited			
7.	1	Bharat Aluminium Company Limited			
8.	1	Bhupati Mining Private Limited			
9.	1	Boulder Stone Mart Private Limited			
10.	2	Chowgule and Company Private Limited			
11.	1	Cuprum Bagrodia Limited			
12.	1	D B Power Limited			
13.	1	Dilip Buildcon Limited			
14.	4	EMIL Mines and Mineral Resources Limited			
15.	1	Everdeliver Logistics Private Limited	Has been technically disqualified		
16.	1	Fairmine Carbons Private Limited			
17.	1	Gangaramchak Mining Private Limited			
18.	5	Hindalco Industries Limited			
19.	2	India Coke and Power Private Limited			
20.	1	Inspire Construction and Coal Pvt. Ltd			
21.	5	Jindal Power Limited			
22.	5	JMS Mining Private Limited			
23.	1	Mahavir Clean Fuel Mining Pvt. Ltd			
24.	1	National Aluminium Company Ltd			
25.	1	ND Pharma Private Limited			
26.	1	Net Energy Private Limited			
27.	1	Nilkanth Coal Mining Private Limited			
28.	1	Nuvoco Vistas Corp. Ltd			
29.	1	Refex Industries Limited			
30.	1	Saraf Trading Company Private Limited			
31.	3	Sarda Energy and Minerals Limited			
32.	1	Shri Jaibaba Casting Pvt Ltd			
33.	2	Sunflag Iron and Steel Company Limited			
34.	4	The Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Ltd			
35.	3	Vedanta Limited			
36.	1	Welspun Steel Limited			
37.	1	Yazdani International Private Limited			
	76				